

दिनांक 24.10.2020 प्रातः 11:00 बजे, ई-गर्वनेस सोसायटी चम्बा की बैठक श्री दुनी चन्द राणा, भा0 प्र0से0 मुख्य प्रशासक, ई-गर्वनेस सोसायटी एवं उपायुक्त चम्बा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री मुकेश रेपसवाल, (भा0प्र0से0) अतिरिक्त जिलाधीश चम्बा।
2. श्री शुभम प्रताप सिंह, (भा0प्र0से0) उपमण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा।
3. सुश्री किरण भडाना, (भा0प्र0से0) उपमण्डलाधिकारी सलूणी।
4. श्री मनीष चौधरी, उपमण्डलाधिकारी (ना0) तीसा।
5. श्री जगन ठाकुर, उपमण्डलाधिकारी (ना0) डल्हौजी।
6. श्री मनीष सोनी उपमण्डलाधिकारी (ना0) भरमौर।
7. श्री बच्चन सिंह उपमण्डलाधिकारी (ना0) भटियात।
8. श्री सरताज सिंह पठानिया, तहसीलदार भटियात।
9. श्री सुनील कुमार कायथ, जिला राजस्व अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।
10. श्री रविन्द्र शर्मा नायब सदर कानूनगो।

सर्व प्रथम सहायक आयुक्त उपायुक्त महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई:-

1. ई-गर्वनेस सोसायटी की वार्षिक आय एवं व्यय का ब्यौरा:-

Sr.No	Particulars	Amount
1	Opening Balance as on April, 2019	2148018
2	Receipts from April, 2019, to August, 2020	1791003
3	<b>Total Receipts</b>	<b>3939021</b>
4	Expenditure from April, 2019 to August, 2020	2204657
5	<b>Balance as on 1st, September, 2020</b>	<b>1732839</b>

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों से ई-गर्वनेस सोसायटी के अर्न्तगत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की। इसके अतिरिक्त उपायुक्त महोदय ने सभी उपमण्डलाधिकारी(ना0), तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को निर्धारित समय के भीतर ई-गर्वनेस निधि को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से खाते में जमा करवाने बारे निर्देश दिये।

2. उपमण्डल, तहसील एवं उपतहसील के लिये खर्च की सीमा बारे:-

उपस्थित सदस्यों ने बैठक में अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया कि खर्च करने हेतु जो खर्च की सीमा तय की गई है वह बहुत ही कम है, क्यों कि बाजार की मंहगाई को देखते हुए सभी वस्तुओं की दरें बढ़ चुकी है और तय सीमा के अन्दर खर्च कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिये खर्च की सीमा बढ़ायी जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मांग को देखते हुए नवम्बर 2020 से खर्च की सीमा निम्न प्रकार से बढ़ाई जाती है। इनमें लेखन सामग्री, टोनर एवं अन्य खर्च शामिल है।

1. उपमण्डल स्तर पर:-

हार्डवेयर 50,000/-रूपये।  
कन्ज्यूमएबल आइटम शत प्रतिशत।

2. तहसील/उपतहसील स्तर पर:-

कन्ज्यूमएबल आइटम 5,000 रूपये  
उपरोक्त खर्चा धनराशि की उपलब्धता को मध्यनजर रखते हुए किया जायेगा।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद किया व आग्रह किया कि बैठक में लिये गये निर्णयों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाये।

उपायुक्त एवं मुख्य प्रशासक,  
ई-गर्वनेस सोसायटी, चम्बा।

पृष्ठांकन संख्या चम्बा ई-गर्वनेस 3(1)/2020 दिनांक 24/11/2020 24/11-12-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।
2. समस्त उपमण्डलाधिकारी ना0 जिला चम्बा, हि0प्र0।
3. सहायक आयुक्त उपायुक्त एवं सदस्य सचिव जिला ई-गर्वनेस सोसायटी चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।
4. जिला राजस्व अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
5. समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार जिला चम्बा, हि0प्र0।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।

उपायुक्त एवं मुख्य प्रशासक,  
ई-गर्वनेस सोसायटी, चम्बा।